R. No. 83 - 100011-1-211-19-12016 पष्ठ छ... कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र., भोपाल 20/2015 विषय: न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू.पी. क्र 8586/15 (एस) ठारेड्ड सिंह परिघट हिंद्राम विकद महम्मद्रम शासन एवं उक्ता Process Id: 4044 2016 Prais 21.3.16 pa suras सदक । क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक / प्राचार्य उत्ते से इन्ति सार रो प्राप्त न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक डब्ल्यूपी 8 586 2015 (एस) की याचिका प्राप्त हुई है। प्राप्त याचिका का संबंध स्तिम्पू ित 50000 - एल खी स्थान सेम्हटर व अठवें सेमस्टट की आवेशिट से है। करण न स्त्री तरिकत संख्याला उटन शिक्त उनाकिश खळले संकाम मानिकर का प्रभारी आधिकारी नियुक्त किया जाना हैं, कृपया अनुनोदन करना चाहे साथ है। यहि मान्य हो तो प्रमारी अधिकारी नियुक्ति आदेश की ख़क्छ प्रतिया पर हस्ताक्षर करना स्तवार विशेष 21.3.2016 €1 394 आयुक्त /सचिव महोदय 19,02/16 वि.क.अ.(न्या.प्रकोष्त) 300 MEG 27/12/16 27-2-16

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र. भोपाल

यं सर्व ५१ रहा ५ रहा ५

विषय:-न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू पी. क्र8586/15 (एस) क्राउट्ड जिल् परिहार हिंडा विलिस महत्रपुद्र राया रने किल्य राम्स मादेश क्रमांच २०० १३ | उतिमे किया | कर्म | - भा म | कर्म 27.2.16-00 सचिव मध्यप्रदेश शासन उ.शि. विभाग के आदेश क्रमांक केर् दिनांक 27.2.16 में अतिरिक्त संचालक / प्राचार्य प्रदेश विश्वा विश्वार विवास क्षेत्रा इवाकियर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है। कृपया प्रतिरक्षण आदेश जारी करने हेतु नस्ती विधि विभाग की ओर अंकित करना वाहे। dren Ans 3/15 - 20 - 10 | 408/03/16 आयुक्त सचिन महोदय विधि विभाग सचिव / आयुक्त ारान, उच्च शिक्षा विभाव

Contraction

मध्य ग्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग पंत्रालय

सिविल प्रकिया संहेता 1990 (1908 का अधि कतुम संख्या-5) के आदेश सत्ताईस नियन-1 तथा -1 अधीन शक्तिरां का प्रयोग करते हुए क्रिकिस्च ते का आक्रम सामक राह्य शिक्ता क वालिया वे बस

को या चेका कमांक धि 8586 2015

(पसकारों के नाम) टारेट्ट सिंह परिहार किलहु अ. ह रासन

Va 3108 1

के मध्यप्रदेश राज्य के लिये तथा उसके और सं प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिव्यनांक पत्र पर इस्ताक्षर करने तथा इन्हें सत्यापित करने के लिये कार्य करने आवेदन करने और उप संजात होने के लिये नियुक्त करते हैं, प्रभारी अधिकारी को आदेश दिया जाता है, कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति तुरन्त पश्चात् वादों में ऐसी स्थिति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं,

1/ प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसा की आवश्यकता हो, आर याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिसरे कि मामले के संचालन में विधिक/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचेगी, रिपोर्ट तैय र करेगा । यदि किसी प्रकम पर विचि विभाग से परामर्श किया गया हो तो उसे विभाग की रि गेर्ट में विनिर्दिष्ट किया जायेगा ।

- 2/ समस्त सुर गत फाइलें, दस्तावेज, नि उम अधिसूचना तथा आदेश एकत्रित करेगा ।
- उक्त रिपो तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा ।
- 4/ शासकीय ाधिवक्ता की सहायता से लिखित / कथन उत्तर तैयार करवाएगा ।
- महत्वपूर्ण / नीतिगत प्रकरणों में तैयार किये गये लिखित / कथन या उत्तर विभागीय/प्रशासकं य अनुमोदन हेतु निम्नानुसार भेजेगा:-

वाद / पत्र हो एक प्रति के साथ प्रकरण तथा लिखित कथन की संक्षेपिका । 2/

प्रस्तावित निखित कथन का प्रारूप । 3/

उन सभी दस्त वेजों की सूची तथा प्रतिलिपि जिन्हें साक्ष्य स्वरूप न्यायालय के समज प्रस्तुत किया जाना है ।

मामले विश्दीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियों में बाद की तारीख भी वर्णिल होनी वाहिये ।

6/ मामले की तैयारो और संचालन में शासकीय अधियक्ता का सहयोग करना और मामले के प्रकम और संबंधित नियमों में किये परिवर्तन से स्वयं को सदैव अवगत रखेगा । "

7/ जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्ट तथा मध्यप्रदेश राज्य-के विरुद्ध पारित किया जाता है। विधि विभाग एवं प्रशासकीय विभाग को सूचित करना तथा उसकी एक प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करेगा ।

8/ अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाहं। करने के लिये इस विभाग को भेजेगा ।

9 / . यह देखना कि आवेदन करने, प्रमाणित प्रतियों प्राप्त करने ,रिपोर्ट बनाने, राथ प्राप्त ं करने और तसकी सूचना देने में अनावश्यक समय नष्ट न हों ।

10/ जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है, वह अई शासकीय पत्र के भाष्यम से सल्काल जानकारी देगा । वह वर्तमान पद भार देने के पश्यात् भी तब तक प्रभारी अधिवर्गरी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता है ।

प्रभारी अधिकारी मामलों को तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता की हर संभव भद्द /सहयोग करेगा तथा सुनिश्चित करेगा कि याद के लिये उत्तरदायी कोई महत्वपूर्ण तथ्यात्मक दस्तावंज अप्रकटित नहीं रह जावे ।

- 12/ महत्वपूर्ण / नीतिगत मामलों में निर्धारित दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगा ।
- 13/ जिन प्रकरणों भें माननीय मुख्य सचिव, को पक्षकार बनाया गया हैं. ऐना मामली में माननीय मुख्य सचिव, का नाम विलोपित करने हेतु न्यायालय के समक्ष शीघातिः गेघ्र आवेदन धायर कर विलोगित करवायें ।

मध्यप्रदेग के राज्यपाल के नाग ने तथा आदेशानुसार

प्रध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विगा

पुरुष 201/83/जिशिवि/यंत्रास्य /न्याप्र/किंगा)१८ भोपाल, दिनांक 27-2-) ६

माजवियक्ता, उच्च न्याजालय माजाल जबलपुर/इन्दौर/वालियर लंगान न.प्र. की और ।

प्रशुरप्र सचिव मायप्रदेश शासन विधि और विधार्थ कार्य विभाग विध्याचन भवन भोपाल सर्वधित जिलाध्यक्ष क अम्ब्रियर - अध्यप्रदेश ।

4/ अभिनेत का आका रामा प्रमाणियर सं तेल समा अभीवार प्रभारी अधिकारी की ओर अंधित । साध ही शासकीय अधिवक्ता से सन्पर्क करने और उपस्थिति प्रमाण-पत्र प्राप्ति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा आनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाह के लिये सलाह करने और मागलें में अपनी प्रग ते रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव हैं। भेजना चाहिये वाद पन की प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से मेजी जायें, मामले की सु वाई की तारीख 21. ८ . २०१६ की लुनवाई हेतु नियत की गई थी / हैं।

5/ क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक , उच्च शिक्षा ... की ओर स्वनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

मध्यप्रवेश शासनं, उच्च शिक्षा विमान भंत्रालय, भोपाल

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: Bench at **GWALIOR**

rocess Id: 4044/2016

WP/8586/2015

From

Deputy Registrar, **High Court of MP** Bench at Gwalior

र्गजीवात आवक...

FOR ADMISSION Fixed for 21-03-2016

DA- 04

Respondent No. 1

RAD

To,

The State of Madhya Pradesh Thr. Commissioner, High Education Department, Satpuda Bhawan Bhopal, District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Gwalior 06-02-2016

Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 8586/ 2015-

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one Narendra Singh Parihar has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. WP/8586/2015

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before 21-03-2016. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court)

Encl: Copy of Petition

AFFIXED AT GWALIOR

Your faithfully

SECTION OFFICER Section Officer High Court Of Madhya Pradesh

Bench Gwalior